

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई0एल0आर0  
 पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

मूलचन्द्र पुत्र बैजनाथ एवं जगदीश प्रसाद के नाम मूलचन्द्र है अतः नाम मूलचन्द्र के बजाय मूलचन्द्र किया जाना उचित है।  
 संमान दस्तावेज के द्वारा प्रमाणित होना पटवारी के पास प्रमाणित किया जाना उचित है।  
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

25/5/23  
 डी.के. राजवाड़ा

दिनांक :- 25/5/23  
 उपखण्ड अधिकारी

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

25/5/23  
 तहसीलदार (उदयपुरवाटी) गुढागौड़जी

158/25/139

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं (राज.)

आदेश :-

दिनांक :- 25/5/23

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
L	एलावसरी	2075-78	268	मूलचन्द्र पुत्र बैजनाथ हिं/5 शेष बदाहर जमाबंदी	मूलचन्द्र पुत्र बैजनाथ हिं/5 शेष बदाहर जमाबंदी

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

प्रशासन गावा के संग अभियान 2023

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 प्रशासन गावा के संग अभियान - 2023  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 25/5/23

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 139

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 प्रशासन गावा के संग अभियान - 2023  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 25/5/23